कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ – 250 110 (उ0प्र0)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक सं0: सवप/अ0छा0क0/2018/7403
दिनांक 16.01.2018

समस्त अधिष्ठाता (कृषि/जैव प्रौद्योगिकी/पशु चिकित्सा महाविद्यालय/स्नातकोत्तर)/समस्त विभागाध्यक्ष

श्री सुनील कुमार, प्रमुख सचिव उ0 प्र0 सरकार, द्वारा निदेशक समाज कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ एवं निदेशक जनजॉति विकास, उ0 प्र0 लखनऊ को सम्बोधित पत्र सं0 84/2016/आर0–75526.03.2016–4 (358)/07टी.सी.–**II**, दिनांक 14.04.2016 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजॉति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली– 2012 (यथा चतुर्थ संसोधन) नियमावली–2016 के बिन्दु 12 में **जीरो बैलेस पर पंजीकरण** हेतु निम्नानुसार व्यवस्था प्रदान की है :–

दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राकिया एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखो का रखरखाव

1– इस योजना में अर्ह छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निम्न शर्तो के अधीन निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा।

(क) जिन संस्थानों में प्रवेश में भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण व्यवस्था लागू है को छोड़कर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अनुमोदित पाठ्क्रम में अनुमन्य छात्र प्रवेश क्षमता की 40 प्रतिशत छात्र सीमा तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को ही प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार निशुल्क प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा।

(ख) छात्र/संस्थान/शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (हार्ड कापी एवं समस्त परिशिष्ट व संलग्नकों सहित) जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर या फारवर्ड न किये जाने पर तथा छात्र द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/संदिग्ध विवरण भरने पर उक्त निशुल्क प्रवेश की अनुमन्यता स्वतः सामाप्त हो जायेगी।

(ग) जिन संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की विगत वर्षो की दशमोत्तर अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नही हुआ है उन संस्थानों को अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति छात्रों को निःशुल्क प्रवेश देने के लिये संस्थान बाध्य नही होगे।

(घ) संस्थान में छात्र को निःशुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात् छात्र व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में संलग्न निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट ख) पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जोयेगा।

(च) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट के अनतर्गत एवं नियमावली की प्रकिया के अनुसार छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि नियमानुसार छात्र/छात्रा के बचत बैंक खाते में राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई–पेमेन्ट (e-pament) के तहत PFMS (Public Financial Management System) के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिपूर्ति (reimburse) की जायेगी।

(छ) ऐसे संस्थान जिनकों सक्षम प्राधिकारी स्तर से अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है उनमें विहित नियमों के अनुसार कुल प्रवेश क्षमता के सापेक्ष 50 प्रतिशत अलपसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रवेश देने वाले संस्थानों में ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्ययनरत छात्रों को इस नियमावली में प्राविधानित अनुमन्य सुविधा पात्रतानुसार प्रदान की जायेगी।

छात्रों को कार्यालय द्वारा मौखिक रूप से एवं कायालर्य के पत्रांक सं0 सवप/अ0छा0क0/2018/7402, दिनांक 16.01.2018 के माध्यम से भी निर्देशित करा दिया गया है ।

अतः अनुरोध है कि आप अपने स्तर से भी समस्त छात्र सलाहकार तथा विभागाध्यक्ष को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि वे छात्रों को संलग्न आवेदन पत्र प्रदान कर छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र सही सही भरने के उपरान्त शपथ पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्रों को विलम्बतः दिनांक 25.01.2018 तक अपने स्तर से उपरोक्तानुसार संस्तुति सहित अग्रसारित करें ।

1. छात्रों की दिया जाने वाला निःशुल्क पंजीकरण प्रार्थना पत्र ।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजॉति दशमोत्तर छात्र/छात्रा एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र ।
   (कक्षा 11 व 12 हेतु रू0 10.00 एवं उच्चतर पाठ्यक्रमतो हेतु रू0 100.00 के नाम जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

16.1.2018

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि :

1. प्रभारी अधिकारी, आई0टी0 सैल को विश्वविद्या0 बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
2. कुलसचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

उ0 प्र0 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2017–18 के द्वितीय सेमेस्ट में निःशुल्क पंजीकरण प्रार्थना –पत्र

कुलसचिव,

महोदय, मैं... आई0डी0 नं. .... इस विश्वविद्यालय के डिग्री प्रोग्राम...का छात्र हूँ। मेरे माता–पिता की संयुक्त आय रूपयें दो लाख से कम है तथा मैं समाज कल्याण विभाग सें छात्रवृति एव शिक्षण शुल्क पाने का पात्र हूँ। मैं आप से निवेदन करता हूँ कि जब तक मुझे 2017–18 के लिए प्राप्त होने वाली समाज कल्याण से छात्रवृति एव शिक्षण शुल्क मिलने तक शैक्षिणक वर्ष 2017–18 के द्वितीय सेमेस्टर में निःशल्क पंजीकरण कराने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, मैने शैक्षिणक वर्ष 2017–18 के द्वितीय सेमेस्टर की छात्रावास शुल्क जमा कर दी है ।

मैं आप को वचन देता हूँ कि शैक्षिणक वर्ष 2017–18 की समाज कल्याण विभाग उ0 प्र0 से छात्रवृति एव शिक्षण शुल्क प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय को देय धनराशि जमा कर दूगॉ। मैने विश्वविद्यालय की सत्र 2016–17 की समस्त फीस एवं शैक्षिणक वर्ष 2017–18 के द्वितीय सेमेस्टर तक की छात्रावास शुल्क जमा कर दी है, तथा सत्र 2016–17 का कोई शुल्क बकाया नहीं है ।

महोदय "मै आपको वचन देता हूँ कि यदि मेरी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि किसी कारण वश प्राप्त नही होती है तो ऐसी दशा में मै 15 अप्रैल, 2018 तक पंजीकरण की समस्त शुल्क जमा कर दूॅगा । शुल्क जमा न करने की स्थिति में मुझे परीक्षा देने से वंचित/मेरा पंजीकरण निरस्त कर दिया जाय" तथा इसी प्रार्थना पत्र की मॉग के अनुसार सौ रूपये वाले स्टाम्प पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था ।

संलग्न

1. **आय प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति ।**
2. **पिछले सेमेस्टरों की ग्रेडशीट की सत्यापित छायाप्रति ।**
3. **समस्त पंजीकरण शुल्क की रसीदें एवं छात्रावास शुल्क की रसीदें ।**
4. **सौ रूपये वाले स्टाम्प पर एक शपथ–पत्र ।**

ह0 प्रार्थी.....................................
नाम..
आई0डी0 नं0..............................

<u>अधिष्ठाता छात्र कल्याण</u>

छात्र श्री .... आईडी.नं............... ने सत्र 2017–18 में समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन किया है । तथा छात्र की शैक्षणिक वर्ष 2016–17 तक की समस्त देय पंजीकरण शुल्क है और शैक्षणिक सत्र 2017–18 के द्वितीय सैमेस्टर तक कर छात्रावास शुल्क जमा कर दी गई है । छात्र/छात्रा पर शैक्षणिक सत्र 2017–18 के प्रथम एवं द्वितीय सैमेस्टर की मात्र पंजीकरण शुल्क ही देय है ऐसी स्थिति में छात्र/छात्रा को सत्र 2017–18 के द्वितोय सेमेस्टर में निःशुल्क पंजीकरण कराने की अनुमति, कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ के पत्रांक सं0 1695/स0क0/2015–16, दिनांक 23.01. 2016 के प्रावधान अनुरूप देना चाहें।

छात्र सलाहकार के हस्ताक्षर
एंव मुहर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजॉति दशमोत्तर छात्र/छात्रा एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र

(कक्षा 11 व 12 हेतु रू0 10.00 एवं उच्चतर पाठ्यकमतो हेतु रू0 100.00 के नाम जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

(1) यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... को (1) कु0/श्रीमती/श्री...जॉति .... निवासी ग्राम/मौहल्ला.. डाकखाना .... तहसील .... जिला .... जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है ।

एवं

(2) कुलसचिव (संस्थाध्यक्ष) पता : सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जनपद – मेरठ (जहॉ छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है । जिसे तत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित किया जाता है) ।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जॉति एवं अनुसूचित जन जॉति छात्रवृत्ति सम्बन्धी योजना संचालित है जिसकी पात्रता सम्बन्धी शर्ते आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जॉति/अनुसूचित जन जॉति छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संसोधन) नियमावली 2014 में उल्लिखित है उक्त नियमावली के आलोक में दोनो पक्ष निम्न लिखित शर्तो को स्वीकार करते है ।

(1) द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जॉति/अनुसूचित जानजॉति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा ।

(2) प्रथम पक्ष सन्दर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पान पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र समस्त वांछित अभिलेखो सहित संस्था में जमा करेंगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देंगा ।

(3) द्वितीय पक्ष उपयुक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृत हेतु वॉछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा ।
(4) प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अन्दर क्षितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा ।

(5) प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन करेगा ।
(6) प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोड़कर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा आर्दवार्षिक परीक्षा जो भी हो प्रतिभाग करेंगा ।

(7) उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जॉति/अनुसूचित जन जॉति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2015 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का अवेदन निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्षितीय पक्ष/संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा । जिसे प्रथम पक्ष विलम्बतः 15 अप्रैल, 2018 तक पंजीकरण की समस्त शुल्क जमा करेगा इसके अभाव में (शुल्क जमा न करने की स्थिति में) द्वितीय पक्ष (संस्था) प्रथम पक्ष को परीक्षा देने से वंचित अथवा पंजीकरण निरस्त कर सकता है ।

प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता/पति का नाम ....
पता ....

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता/पति का नाम ....
पता ....

साक्षी सं0 – 1

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता/पति का नाम ....
पता ....

साक्षी सं0 – 2

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता/पति का नाम ....
पता ....